



2026:AHC:56946

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1678 / 2026

प्रदीप यादव

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	दिनेश कुमार गुप्ता, राघवेंद्र सिंह
विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता	:	बेद कांत मिश्रा, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. पुनः पुकार पर भी सूचनादाता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार गुप्ता और राज्य के विद्वान एजीए श्री इमरान खान को सुना।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 435/2025 अंतर्गत धारा 109(1), 115(2), 118(1), 324(4) बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन - रेवती, जिला - बलिया में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरोप के अनुसार आवेदक ने तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर सूचनादाता के बेटे पर हमला किया, लेकिन उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।
5. इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि आवेदक और अन्य लोगों के विरुद्ध सामान्य आरोप होने के बावजूद, सह-अभियुक्त अंकुश को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विविध जमानत आवेदन संख्या 4616/2026 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है और आवेदक का मामला उसके समान है।

6. इसके बाद उन्होंने प्रस्तुत किया कि घायल व्यक्ति की पूरक रिपोर्ट से भी यह पता चलता है कि कोई असामान्यता नहीं पाई गई।

7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का एक अन्य मामले में आपराधिक इतिहास है, लेकिन वह मामला मामूली अपराध से संबंधित है और वर्तमान मामले में वह 09.12.2025 से जेल/कारागार में है।

8. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर दिए गए तर्क का खंडन नहीं कर सके।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।

10. अभिलेख से पता चलता है कि आरोप के अनुसार, आवेदक ने तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर सूचनादाता के बेटे पर हमला किया था, लेकिन इसी मामले में सह-अभियुक्त अंकुश को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

11. इसके अतिरिक्त, घायल व्यक्ति की पूरक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि कोई असामान्यता नहीं पाई गई।

12. इसके अतिरिक्त, आवेदक का एक अन्य मामले में आपराधिक इतिहास है, लेकिन वह मामला मामूली अपराध से संबंधित है और वर्तमान मामले में वह 09.12.2025 से जेल/कारागार में है।

13. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का पात्र है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. तदनुसार, मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

15. उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक - **प्रदीप यादव** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे कि वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

16. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

मार्च 17, 2026

एस.ए.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।